

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
पत्रांक 872 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, अक्टूबर 5 2016
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषय : जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.600 कि०मी०) के निर्माण हेतु आपेक्षित 5.6325 है० वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव।
संदर्भ : प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16964/2015
महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 11/08/2016 को आपके माध्यम से प्राप्त रीजनल ऑफिस की क्वैरी का निराकरण कर बिन्दु वार आख्या निम्नानुसार प्रेषित है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला व यूजर ऐजेन्सी द्वारा क्वैरी के सम्बन्ध प्रेषित आख्या की प्रति संलग्न है। कृपया तदनुसार आपत्ति को निरस्त कराने की कृपा करें।

क्र० सं०	शासन द्वारा की गई क्वैरी का विवरण	निराकरण आख्या
1	The total area of village wise break up does not match with the area proposed for diversion in Part I. The State Govt may do the necessary correction.	The Necessary Correction has been made on line by the user Agency.
2	The State Govt has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map without showing geo-coordinates which is not acceptable. The State Govt may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part I.	Map showing geo co-ordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale has been uploaded by the user agency. (copy attached herewith)
3	The State Govt may provide/upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 11.265 ha providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file. The Google earth map will not accepted for the purpose.	GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA has been uploaded online by the user agency as per the query raised. (copy attached herewith)
4	The State Govt may provide/upload correct KML file for CA in Part II.	Correction has been made online as per the query raised.
5	The State Govt may review the density of the area in view of the number of trees proposed to be felled in the area and correct the NPV calculation in hard copy as well as in online Part II.	Reply is as per point 7 of user agency's letter (letter no. 1589/van bhoomi date 15/09/2016) attached herewith.
6	In the Cost Benefit analysis uploaded in the Part I in both performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms. Cost over Benefit ratio may also be worked out.	Cost Benefit analysis is attached herewith.

7	Employment details provided in online Part I is seems to be incorrect. The State Govt may review the information and provide correct information if required.	Reply is as per point 7 of user agency's letter (letter no. 1589/van bhoomi date 15/09/2016) attached herewith
8	The CA scheme is uploaded in Part II is only for area of 10.44 ha while it should be prepared for twice the area proposed for diversion i.e. 11.265 ha. The State Govt may provide revised CA scheme and upload the same in online part II.	Reply is as per point 8 of user agency's letter (letter no. 1589/van bhoomi date 15/09/2016) attached herewith.
9	Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in Part I is issued in the year 2005. May clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17	Reply is as per point 9 of user agency's letter. (letter no. 1589/van bhoomi date 15/09/2016) (attached herewith.)
10	As per the tree enumeration list attached with the proposal out of 325 trees in forest area 44 trees are of dia 0-10 cm and the value should come 281 in online Part II but the number of trees proposed to be felled in online Part II is 313. The State Govt may rectify the same and give correct details in online Part II.	The number of trees in proforma 20.1 of the proposal is 325 and the number of trees dia 0-10 c.m. is 44, remaining 281 trees have been filled on line in part II.
11	The CA stipulated does not commensurate with the total area diverted in the district. The State Govt may do the necessary correction in online Part II in the district profile and give complete and correct detail with proper justification of poor progress of CA in additional document if required.	Necessary Correction has been done online.
12	The map uploaded in online Part I indicating alternate examined is not visible. The state Govt may upload the clear visible copy of the map.	Reply is as per the point 12 of user agency's letter. (letter no. 1589/van bhoomi date 15/09/2016) (attached herewith.)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,
१६/१०
(जन्मेजय सिंह)
वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, टौस वन प्रभाग, पुरोला को उनके पत्रांक 633 / 12-1 दिनांक 22-09-2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जन्मेजय सिंह)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला, (उत्तरकाशी)

Email- dfo_tons@yahoo.co.in /Fax- 01373-223328

पत्रांक 633/12-1 दिनांक, पुरोला, उत्तरकाशी 28/09/2016

सेवामें,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

- विषय:- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.600 किमी) के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि 5.6325 है। वन भूमि (वन संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।
- संदर्भ:- आपका पत्रांक 389/12-1-(1) दिनांक 11 अगस्त 2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा उक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार कर लिया गया है। जिसकी प्रति आपको संलग्न कर ई0डी0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या- 1 से 7 तथा 9 एवं 12 में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण लो0नि0वि0 पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 1589/वन भूमि दिनांक 15-09-2016 के अनुसार कर ली गयी है, जिसकी प्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या 8- इस प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित क्षेत्रफल 11.265 है। के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दोगुने अवनत क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलन कर अपलोड कर ली गयी है तथा एक प्रति ई0डी0एस0 के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या 10- प्रस्ताव के प्रारूप 20.1 में वृक्षों की संख्या 325 है एवं 0-10 सेमी0 व्यास के वृक्षों की संख्या 44 है, शेष 281 वृक्ष पार्ट- ॥ में ऑन लाईन भर दिए गये है।

बिन्दु संख्या 11- का निराकरण ऑनलाईन कर लिया गया है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
टौंस वन प्रभाग, पुरोला।

परियोजना का नाम :— जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हुत एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :—

1. ईको-वलास श्रेणी	:-	V
2. हरियाली का घनत्व	:-	0.6
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हेक्टेएक्टर	:-	845000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	:-	5.6325 ha.
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि	:-	4759462.50

उपर्युक्त वनावधिकारी
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

वन क्षेत्राधिकारा
कोटीगाड़ रोज

उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)
E-Mail – eepwdpurola@rediffmail.com

पत्रांक १५३९ /वनथर्मि

दिनांक १५/९/२०१६

सेवामें,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला।

मिलाकोला
एफ एस
एस एस
योगी
४५८

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी आरकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.600 किमी) के निर्माण हेतु अपेक्षित वनभूमि 5.6325 है। वनभूमि (वन संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी स्वीकृति विषयक प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 417/12-1 दिनांक 24/8/2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लगाई अपत्तियों का निराकरण करते हुये संगत बिन्दुवार संलग्नक/आख्या निम्नवत है :—

आपत्ति	निराकरण
1-The total area of villagewis breakup does not match with the area proposed for diversion in part1.The State Govt may do the necessary correction.	ऑनलाईन प्रस्ताव में कर दिया गया है।
2-The State govt has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated digital map without showing geo-coordinates which is not acceptable.The State Govt. may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on excat to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part1.	ऑनलाईन प्रस्ताव में कर दिया गया है पृथक से अलाईमेन्ट के जियो रिफरेन्स डिजिटल मैप की कापी एक प्रति में संलग्न है।
3-The State Govt.may provide /upload GIS software generated geo referenced digital map of the area proposed for CA which should be 11.265 ha providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file.The Google earth map will no accepted for the purpose.	ऑनलाईन प्रस्ताव में कर दिया गया है पृथक से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पालीगोन ऐरिया के कोर्डिनेट्स जियो रिफरेन्स डिजिटल मैप पर अंकित कर दी गयी है। (प्रति संलग्न)
4-The State Govt may provide/upload correct KML file for CA in part-II	ऑनलाईन प्रस्ताव में ठीक कर दी गयी है।
5-The state Govt may review the density of the area in view of the numer of trees proposed to be felled in the area and correct the NPV calculation in hard copy as well as in online Part-II	प्रस्तावित समरेखण में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 325 है, एवं जिसका घनत्व 0.6 है। एवं प्रस्ताव के प्रारूप 50 में प्रत्यावर्तन हेतु अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल त्रुटीवश 5.220 है। अंकित हो गया था जबकि वास्तविक क्षेत्रफल 5.6325 है। हार्ड कापी में एनोपी०वी० की धनराशि 4410900.00 त्रुटीवश दर्शायी गयी थी जबकि एनोपी०वी० की वास्तविक धनराशि 4759462.50 आती है। जिसे ऑनलाईन प्रस्ताव में ठीक कर दिया गया है पार्ट-॥ में उक्त सूचना प्रभागीय वनाधिकारी टौन्स वन प्रभाग पुरोला द्वारा भरी जानी है। (अतिरिक्त संलग्नक के रूप में एनोपी०वी० प्रमाण पत्र संलग्न)
6-In the cost benefit analysis uploaded in the part I in both performa VI b and VI C needs to be quantified in monetary terms Cost over Benefit ratio may also be worked out.	संलग्न है।

०५८
१५

7-Employment details provided in online part-I is seems to be incorrect the State Govt. May review the information and provide correct information if required.	खण्डीय स्तर पर पूर्व में नियमित अधिकारी/ कर्मचारी होने के कारण नियमित रोजगार दिवसों की संख्या का आकलन प्रस्ताव में नहीं किया गया है। अपितु परियोजना के पूर्ण होने में अस्थाई 19716 रोजगार दिवस पैदा होने की सम्भावना होगी।
8-The CA scheme is uploaded in Part II is only for area of 10.44ha while it should be prepared for twice the area proposed for diversion ie 11.265ha. The State Govt. may Provide revised CA scheme and upload the same in online part-II	खण्डीय स्तर पर पार्ट-। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 11.265 है० दोगुने अवनत क्षेत्रफल का जियो रेफरेन्स मैप, खसरा खतौनी इत्यादि ऑनलाईन अपलोड की गयी है। जबकि पार्ट-॥। में आपके द्वारा 10.44 है० ऑनलाईन अपलोड किया गया है कृपया पार्ट-॥। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित क्षेत्रफल 11.265 है० करने का कष्ट करें।
9- Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in part I is issued in the year 2005 may clarify whether it has been revalidated for the year 2016-17.	प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 2454 / ।।।(2) / 05-07(प्रा०आ०) / 05 दिनांक 28 अक्टूबर 2005 के द्वारा 9.00 किमी० लम्बाई हेतु 221.80 लाख की प्राप्त है, के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस मार्ग का 7.425 किमी० लम्बाई में 3.745 है० (7.५० मी० चौड़ाई में) वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया था, जिसे भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र के पत्र सं० 8वी० / यू०सी०पी० / 06 / 43 / 2012 / एफ०सी० / 674 दिनांक 31 / ८ / 2012 द्वारा प्रकरण में सिविल सोयम भूमि को राज्य सरकार द्वारा Denotify कर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति को गैर कानूनी है एवं मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है। मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा एवं सिविल सोयम भूमि में किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न किया जाय सूचित किया गया है। इसके उपरान्त भारत सरकार के पत्र सं० 11 / मिस० / बन्द / 1146 / यू०सी०पी० / 11 / 1308 दिनांक 12 फरवरी 013 के द्वारा प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी के पैरा 4.14 के तहत बन्द / निरस्त किया गया है। प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।
वर्तमान में इस मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामीणों की पुनः मार्ग एवं वनभूमि एवं वृक्षों हानी को न्यूनतम करते हुये मार्ग का पुनः संशोधित समरेखण किया गया एवं वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को वर्तमन में प्रचलित 2014 की मार्गदर्शिका के अनुसार पुर्नजीवित किया गया है।	आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र के विकास एवं सम्बन्धित ग्राम को यातयाता की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर संस्तुति करते हुये उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें।
10- As per tree enumeration list attached with the proposal out of 325 trees in forest area 44 trees are of dia 0-10cm and the value should come 281 in online part II but the number of these proposed to be felled in online part II is 313 the state Govt. may rectify the same and give correct details in online Part II	प्रस्ताव के प्रारूप 20.1 में वृक्षों की सं० 325 है एवं ०-१० सेमी० व्यास के वृक्षों की सं० 44 है, शेष 281 वृक्ष ही पार्ट-॥। में आपके द्वारा भरे जाने हैं। परन्तु आपके द्वारा ऑनलाईन पार्ट-॥। में 313 वृक्षों की प्रवृष्टि की गयी है। कृपया पार्ट-॥। में अपने स्तर से सही करने का कष्ट करें।
11-The CA stipulated does not commensurate with the total area diverted in the district the State Govt. may do the necessary correction in online Part II in the district profile and give complete and correct detail with proper justification of poor progress of CA in additional document if required	आपसे सम्बन्धित है।
12-The map uploaded in online Part I indicating alternate examined is not visible the state Govt may upload the clear visible copy of the map.	पार्ट-। में प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण हेतु परिवर्तित समरेखण को नीले रंग से दर्शाया गया है। जिसे पुनः स्कैन करने के उपरान्त ऑनलाईन अपलोड किया गया है।


अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वॉच्चित बिन्दुओं का अवलोकन करने के उपरान्त सूचना उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें।

[Signature]
अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, पुरोला

जियो रेफरेंस मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल डामटी सिविल सोयम (क्षेत्रफल 22.909 हेक्टेकर्न) है।


0 95 190 380 M

Scale - 1:5,000



जियो रेफरेंस मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत आराकोट कलीच थुनारा डमटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (ल0 – 7.600 किमी)

मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (ल० = 7,600 किमी)



क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

प्रयोजन का नाम:- जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी में आराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग का निर्माण। मोटर मार्ग निर्माण में काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दोगुने अवनत क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आंकलन।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- डामटी सिविल

क्षेत्रफल:- 11.265 है

वृक्षारोपण व्यय प्रति है (2000 पौध)

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	11.265	है०	120.00	है०	1351.80
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	11.265	है०	1578.00	है०	17776.17
3	अग्रिम दिवालबन्दी (फेन्सिग) 84 घन मी० प्रति है०	845.30	घ०मी०	291.00	है०	245982.30
4	मृदा जल संरक्षण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण	10	न०	9150.00	संख्या	91500.00
5	गड्डा खुदान	20880	गड्डे	7.40	गड्डे	154512.00
6	निरीक्षण बटिया	11.265	है०	485.00	है०	5463.53
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत	20880	पौध	5.93	पौध	123818.40
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, संयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर	11.265	है०	489.00	है०	5508.59
	योग प्रथम चरण:-					645912.78
	द्वितीय चरण					
1	गड्डा खुदान	20880	गड्डे	1.30	गड्डे	27144.00
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) 25 प्रतिशत	20880	पौध	1.05	पौध	21924.00
3	पौध ढुलान कार्य	20880	पौध	6.50	पौध	135720.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	20880	पौध	2.74	पौध	57211.20
5	निराई—गुडाई व मल्विंग (दो बार)	20880	गड्डे	3.00	गड्डे	62640.00
6	खाद व दवा पर व्यय	20880	गड्डे	21.00	गड्डे	438480.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख—रेख व रख रखाव पर व्यय 9 माह	9	है०	6870.00	है०	61830.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एवं जलनशील पदार्थों को हटाना	11.265	है०	376.00	है०	4235.64
9	8.2 सुरक्षा दिवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	11.265	है०	277.00	है०	3120.41
10	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना					
11	अ— प्रशिक्षण	11.265	है०	577.00	है०	6499.91
12	ब— प्रोत्साहन	11.265	है०	289.00	है०	3255.59
13	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्ष से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो—तीन बार फोटो ग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार—प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	11.265	है०	1327.00	है०	14948.66
	योग द्वितीय चरण:-					837009.39
	तृतीय चरण	.				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है०	6870.00	है०	82440.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है०	1510.00	है०	17010.15
	योग तृतीय चरण:-					99450.15

चतुर्थ चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है0	7557.00	है0	90684.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है0	1510.00	है0	17010.15
योग चतुर्थ चरण:-						107694.15
पंचम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है0	8312.00	है0	99744.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है0	1510.00	है0	17010.15
योग पंचम चरण:-						116754.15
षष्ठम् चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है0	9143.00	है0	109716.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है0	1510.00	है0	17010.15
योग षष्ठम् चरण:-						126726.15
सप्तम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है0	10058.00	है0	120696.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है0	1510.00	है0	17010.15
योग सप्तम चरण:-						137706.15
अष्टम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है0	11064.00	है0	132768.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है0	1510.00	है0	17010.15
योग अष्टम चरण:-						149778.15
नवम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है0	12170.00	है0	146040.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है0	1510.00	है0	17010.15
योग नवम चरण:-						163050.15
दशम चरण						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख—रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	12	है0	13387.00	है0	160644.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	11.265	है0	1510.00	है0	17010.15
योग दशम चरण:-						177654.15
कुल योग-						2561735.37

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0:-

2561735.37

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल :-

11.265

दोगुने अवनत क्षेत्रफल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि:-

2561735.37

वन क्षेत्रधिकारी
कोटीगाड़ रेज

उप प्रभाग प्रभाग
दोन्स वन अमारा,
रुद्रप्रभा

उप वन संरक्षक
टौन्स वन प्रभाग,
पुरोला

प्रारूप-29
 (5.00 हेठो से अधिक के प्रकरणों में लागू)
Cost Benefit Ratio calculation Performa

**Name of the project – Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Road in block Mori
 district Uttarkashi.**

Block:-

District:- Uttarkashi

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)	221.80	
(A)	Construction cost of the project	221.80	
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ 0.60 lakh /Ha	3.37	
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	19.35	
(E)	Other cost if any		
	Grand Total	244.52	
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits a. b. c.		
	Total direct benefits		
2.2	ii. Social Benefits a. b. c.		
	Total social benefits		
2.3	iii. Ecological Benefits a. b. c.		
	Total ecological benefits		
2.4	Other Benefits(if any) a. b.		
	Total benefits		
	Grand Total Benefits		

अधिशासी अभियंता
 निर्माण खण्ड, लोगोनिविह, पुरोला

वन विभागीय वनाधिकारी
 निर्माण खण्ड, लोगोनिविह, काष्टा

प्रभागीय वनाधिकारी
 टौस वन प्रभाग, पुरोला

उप प्रभागीय वनाधिकारी
 टौस वन प्रभाग,
 पुरोला

प्रारूप-29.1

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project:- Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Motor Road in block Mori district Uttarkashi.

Nature of Proposal :- New Construction

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage from the harvest of these commodities	Total 325 Trees are affected by road construction.
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	N/A
3	Cost of human resettlement	N/A
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	N/A
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	N/A
6	Suffering to oustees	N/A

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड लो०नी०वि०, पुरोला

वन विनाधिकारी
कोटीगाड़ रेज. काष्ट

प्रभागीय वनाधिकारी
टौस वन प्रभाग, पुरोला

उप प्रभागीय वनाधिकारी
टौस वन प्रभाग,
पुरोला

प्रारूप-29.2

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Name of Project:- Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti Motor Road in block Mori district Uttarkashi.

Nature of Proposal : New Construction

Sl.no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	There will be increase in productivity of cash crops due to transportation facility through Motor Road.
2	Benefits to economy	People will transport their cash crops in minimum cartage hence there will be economical benefit to the farmers and villagers.
3	No. of population benefited.	Approx 600
4	Employment potential.	Local villagers will get employment while road construction and in maintenance of road.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	a: No loss in agriculture. b: No loss in animal, husbandry production .
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	No need of rehabilitating of persons.
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	No need of free fuel wood to workers during the period of construction because the village are situated near the alignment.

अधिकारी अभियंता
निर्माण खण्ड लो०निर्विठि, पुरोला

वन क्षेत्राधिकारी
संसाधन विभाग, काष्टा

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग, पुरोला

प्रभागीय वनाधिकारी
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला